संख्या–4135/9–1–13–370सा/2013

प्रेषक,

सी.बी. पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ.प्र.,लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 2 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2013

विषयः वेतन समिति 2008 के बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के लेखा संवर्ग हेतु की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुक्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे.आ.2–306/दस–54(एम)/2008 टी.सी. दिनांक–31 मई, ,2013 द्वारा संसूचित निर्णयों के संदर्भ में उ.प्र. नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के लेखा संवर्ग के पदों की वर्तमान व्यवस्था, उनके पदनाम, वेतनमान तथा संवर्गीय ढ़ांचा को तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार इस प्रतिबन्ध के अधीन पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस पुनर्गठन एवं वेतनमान संशोधन से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे एवं इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी :–

वर्तमान व्यवस्था

1– केन्द्रीयत सेवा

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती की प्रकिया
1	2	3	4
सहायक लेखाकार	} 201	वेतन बैण्ड–1 रू.5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू. 2800	सीधी भर्ती। अर्हता– स्नातक कामर्स तथा कम्प्यूटर संचालन में डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा प्रदत्त "ओ" स्तर का डिप्लोमा।
लेखाकार		वेतन बैण्ड–2 रू.9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4200	03 वर्ष की सेवा तथा प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने वाले सहायक लेखाकार के पदों के पदधारकों को लेखाकार इस प्रतिबन्ध के अधीन पदनामित किया जायेगा कि इनकी संख्या सहायक लेखाकार एवं लेखाकार की सम्मिलित संख्या के 80 प्रतिशत से अधिक न होगी। लेखाकार के 15 प्रतिशत पद वरिष्ठ लेखाकार पदनाम से पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू. 4200 में होंगे, जिन्हें द्वितीय विभागीय परीक्षा पास करने वाले लेखाकार पदधारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

G.O.V

सहायक लेखाधिकारी	14	वेतन बैण्ड–2 रू.9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4600	50 प्रतिशत सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से। अर्हता—स्नातक उपाधि। 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ लेखाकार के पदों से पदोन्नति द्वारा।

2–अकेन्द्रीयत सेवा

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती की प्रकिया
1	2	3	4
सहायक लेखाकार (अकेन्द्रीयत)	301	वेतन बैण्ड–1 रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन रू .2800	सीधी भर्ती। अर्हता– स्नातक कामर्स तथा कम्प्यूटर संचालन में डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा प्रदत्त "ओ" स्तर का डिप्लोमा।
		वेतन बैण्ड–2 रू.9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4200	03 वर्ष की सेवा तथा प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने वाले सहायक लेखाकार के पदो के पदधारकों को लेखाकार इस प्रतिबन्ध के अधीन पदनामित किया जायेगा कि इनकी संख्या सहायक लेखाकार एवं लेखाकार की सम्मिलित संख्या के 80 प्रतिशत से अधिक न होगी। लेखाकार के 15 प्रतिशत पद वरिष्ठ लेखाकार पदनाम से पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू. 4200 में होंगे, जिन्हें द्वितीय विभागीय परीक्षा पास करने वाले लेखाकार पदधारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

पुनर्गठित व्यवस्था

1– केन्द्रीयत सेवा

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती की प्रकिया
1	2	3	4
सहायक लेखाकार	50	वेतन बैण्ड–1 रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन रू.2800	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता– स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का डिप्लोमा की अर्हताधारियों से।
लेखाकार	151	वेतन बैण्ड–2 रू.9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4200	03 वर्ष की सेवा वाले सहायक लेखाकार के पदधारकों में से शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

2–अकेन्द्रीयत सेवा

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती की प्रकिया
1	2	3	4
सहायक लेखाकार (अकेन्द्रीयत)	75	वेतन बैण्ड–1 रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन रू .2800	लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। अर्हता– स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउंटेन्सी सहित कम्प्यूटर संचालन में डी.ओ.ई. ए.सी.सी. द्वारा प्रदत्त "ओ" स्तर का डिप्लोमा वाले अर्हताधारियों से।
लेखाकार (अकेन्द्रीयत)	226	वेतन बैण्ड–2 रू.9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4200	03 वर्ष की सेवा वाले सहायक लेखाकार के पदधारकों में से शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

G.0.V

2– उपर्युक्तानुसार पदों के पुनर्गठन, वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप नागर निकायों/जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत सामान्य जन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

3– उपरोक्तानुसार पुनर्गठित संवर्गीय ढ़ाचें के पदों के लिये भर्ती के स्रोत, भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता, भर्ती की प्रक्रिया आदि का समावेश करते हुए संशोधित सेवा नियमावली का प्रख्यापन यथाशीघ्र पृथक से किया जायेगा।

4– उक्त पुनगर्ठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे.आ.–2–841/दस–59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

5– उपर्युक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के अशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2–929/दस–2013 दिनांक– 02 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सी.बी. पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

सख्या–4135(1)/9–1312 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र.
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान,उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,उ.प्र.। द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2 को तीन–तीन प्रतियों में।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
9. कार्मिक अनुभाग–1/2
10. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

02/9/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

G.0.V